न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– बाबूलाल जाट (R.A.S.)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 22/2019 (RCMS No. 2019/00035)

प्रार्थीगण

1. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी (तहसीलदार) कुचामनसिटी

बनाम

अप्रार्थीगण

1. नेमाराम पुत्र चन्द्राराम बराला जाति जाट नि. पी.डब्ल्यू डी. के.पास, कुचामनसिटी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act 1955 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908

उपस्थित – श्री तहसीलदार कुचामनसिटी प्रार्थी
श्री श्यामसुन्दर चौधरी अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से।

आदेश

दिनॉक :– 10.2.2020

तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि इसी उनवान का एक वाद बहुत ही मजबूत बिनाय पर आधारित अप्रार्थी के विरूद्व प्रस्तुत किया है जिसमें प्रार्थी को सफलता मिलने की पूर्ण सम्भांवना है, ग्राम कुचामनसिटी में अवस्थित वर्तमान खसरा नम्बर 3289/1013 रकबा 0.1618 हैक्टर किस्म बारानी द्वितीय भूमि अवस्थित है, चालू भू–राजस्व अधिकार अभिलेख सम्वत 2075 में उक्त भूमि की किस्म कृषि बारानी द्वितीय है जिसका अप्रार्थी खातेदार है, उपर्युक्त भूमि की वर्तमान किस्म बारानी द्वितीय में अप्रार्थी द्वारा उपर्युक्त आराजी में से 0.1618 हैक्टर कृषि भूमि को बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किये गैर कृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करवाये बिना सीमेन्ट ब्लॉक फैक्ट्री हेतु औद्योगिक कार्य के लिए नेमाराम बलारा के माध्यम से कृषि भूमि का दुरूपयोग कर कृषि भूमि को हानिप्रद कार्यो के लिए उपयोग में ले रहा है इस वजह से कृषि भूमि की उर्वरकता नष्ट हो रही है, अप्रार्थी द्वारा उक्त खसरा नम्बर 3289/1013 रकबा 0.1618 हैक्टर की बारानी द्वितीय की भूमि कृषि प्रयोजनार्थ [illegible] सीमेन्ट ब्लॉक निर्माण के कार्यो हेतु उपयोग में लेकर उक्त कृषि भूमि [illegible] क्षमता को भारी नुकसार कारित किया है, अप्रार्थी का यह कृत्य राजस्थान [illegible] अधिनियम में वर्णित प्रावधानों का स्पष्टतया उल्लंघन है, उपर्युक्त अप्रार्थी द्वारा उक्त खसरा में से 0.1618 हैक्टर कृषि भूमि हानिप्रद गैर कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लेने के कारण अप्रार्थी के खातेदारी अधिकार समाप्त किये जाकर उसके खातेदारी की कृषि भूमि को सिवाय चक राजकीय भूमि घोषित किये जाने योग्य होने के कारण रिसीवरी एवं अस्थाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 12:17:30 IST
Reason: SelfAttested

निषेधाज्ञा कार्यवाही हेतु यह आवेदन पेश करना आवश्यक हुआ, अप्रार्थी द्वारा वाद दौरान कृषि भूमि मे अप्रार्थी द्वारा नाजायज तरीके से बिना किसी वैध प्राधिकार के एवं संपरिवर्तन करवाये गैर कृषि कार्य हेतु सीमेन्ट की फैक्ट्री का निर्माण कर औद्योगिक कार्य के लिए उपयोग में लेकर कृषि भूमि का दुरूपयोग कर क्षति कारित किा जा रहा है, प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में बखुबी प्रमाणित है यदि दौरान मूल प्रकरण की सुनवाई के अप्रार्थी द्वारा वादाधिन कृषि भूमि में नया कच्चा पक्का निर्माण करता है अथवा अन्यत्र बेचान हस्तानान्तरण भारग्रस्त एवं किस्म परिवर्तन कर क्षति कारित करता है तो इससे प्रार्थी को असुविधा एवं अपूर्तनीय क्षति होगी जिससे होने वाली क्षति की पूर्ति रूपयों में किा जाना असम्भव हे, प्रार्थी की इस्तदुआ है कि दौराने वाद ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 3289/1013 रकबा 0.1618 हैक्टर बारानी द्वितीय कृषि भूमि की सुरक्षा संरक्षण हेतु रिसिवर नियुक्त किया जाकर उक्त आराजी के राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे एवं मूल प्रकरण की सुनवाई तक अप्रार्थी विवादित आराजी को अन्यत्र बेचान हस्तानान्तरण भारग्रस्त नही करे एवं उक्त आराजी मे किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण नही करे। दौराने वाद विवादित आराजी को गैर कृषि कार्यो के लिए उपयोग में नही लेवे।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया। अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत हुआ, जिसने कथन किया है कि अप्रार्थी ने उपरोक्त खसरा नम्बर 3289/1013 की भूमि का विधिवत औद्योगिक रूपान्तरकरण करवाकर माह नवम्बर 2014 में नगरपालिका मण्डल कुचामनसिटी से पट्टा जारी करवा लिया था, पट्टे की प्रति जवाब के संलग्न प्रस्तुत की गई है, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से सीमेन्ट फैक्ट्री का संचालन करता आ रहा है जिससे अप्रार्थी अपना व अपने परिवार का पालन–पोषण करता आ रहा है लेकिन राजस्व कर्मचारियो की भूल से राजस्व रेकार्ड में उपरोक्त खसरा की भूमि कृषि भूमि ही दर्ज चली आ रही है जिसका नुकसान सीधे तौर पर अप्रार्थी को भुगताने पर तुल हुये है, जो विधि विरूद्व है, अप्रार्थी ने औद्योगिक संपरिवर्तन कराकर ही भूमि को प्रयोग में लिया जा रहा है, अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति के तीनो बिन्दू अप्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है न कि प्रार्थी के पक्ष में, इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना– पत्र काबिल खारिज किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 12:17:30 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी नकल सम्वत 2074–77 ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 3289/1013 रकबा 0.1618 हैक्टर में नेमाराम पुत्र चन्द्राराम बराला हिस्सा–पूर्ण जाति जाट सा. देह खातेदार दर्ज है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पट्टा विलेख सं. 3236/2014 उप पंजीयक कार्यालय कुचामनसिटी में पंजीबद्व दस्तावेज सं. 2014005251 दिनॉक 16.12.2014 अनुसार कुचामनसिटी के

उपखण्ड अधिकारी

खसरा नम्बर 3289/1013 क्षेत्रफल 1866.66 वर्ग गज का औद्योगिक जारी हुआ है। नगरपालिका कुचामनसिटी के प्रारूप–11 दिनॉक 19.09.2014 अनुसार खातेदार नेमाराम के नाम दर्ज भूमि खसरा नम्बर 3289/1013 रकबा 0.1618 हैक्टर मे खातेदारी अधिकार समापत कर गैर कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान की गई है। महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र नागौर द्वारा पार्ट 1 में सीमेंट ब्लॉक बनाये जाने का अंकन है।

राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं शपथ पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि वादग्रस्त भूमि कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 3289/1013 में 0.1618 हैक्टर भूमि कृषि भूमि को बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किये गैर कृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करवाये बिना सीमेन्ट ब्लॉक फैक्ट्री हेतु औद्योगिक कार्य के लिए नेमाराम बलारा के माध्यम से कृषि भूमि को दुरूपयोग कर कृषि भूमि को हानिप्रद कार्यो के लिए उपयोग में ले रहा है इस वजह से कृषि भूमि की उर्वरकता नष्ट हो रही है, इसके प्रतिउत्तर में अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज पट्टा विलेख, नगरपालिका कुचामनसिटी द्वारा जारी प्रारूप–11 एंव महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र नागौर द्वारा पार्ट 1 में सीमेंट ब्लॉक बनाये जाने के प्रपत्र अनुसार अप्रार्थी ने विधिवत स्वीकृति प्राप्त यथासमय प्राप्त की जा चुकी है परन्तु राजस्व रेकार्ड में नगरपालिका के नाम उक्त भूमि दर्ज नही होना एवं नगरपालिका द्वारा सीधे ही प्रारूप–11 जारी के अनुसार ही पट्टा जारी कर दिया गया, जबकि खातेदार के नाम आज दिन भी कृषि भूमि दर्ज चली आ रही है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा राजस्व रेकार्ड के आधार पर एवं मौका निरीक्षण कर ही अप्रार्थी के विरूद्व प्रकरण प्रस्तुत किया है। उपलब्ध रेकार्ड एवं अप्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं शपथ–पत्र पर विश्वास करते हुए जारी अस्थाई निषेधाज्ञा एवं प्रार्थना पत्र निरस्त काबिल है।

आदेश

अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनॉक 19/02/2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबूलाल जाट RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 12:17:30 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2020.02.28 13:08:11 IST
Reason: SelfAttested
Location: